

राजस्थान सरकार

शिक्षा विभाग

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 1 (175)स्था/निकाशि/2011/ 2706

दिनांक: 14.3.12

कार्यालय आदेश

राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम-2010 के नियम 4(3)क में वर्णितानुसार गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 1.07.2011 एवं 6.08.2011 द्वारा गैर सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं में नियमित रूप से नियुक्त निम्नांकित व्याख्याता/रिसर्च ऑफिसर जिन्होंने उक्त नियमों के अधीन उल्लेखित निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार नियुक्त किये जाने की वांछा की है, को व्याख्याता/रिसर्च ऑफिसर, पद की उपयुक्तता का न्याय निर्णय करते हुए इन्हें व्याख्याता/रिसर्च ऑफिसर, पद पर नियुक्त किये जाने संबंधी अनुशंषा के आधार पर उक्त नियमों के नियम 5(ii) के अनुसार पृथक मृत संवर्ग गठित करते हुए राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम-2010 में उल्लेखित निबंधनों एवं शर्तों के तहत राजकीय सेवा में नियुक्त होने के फलस्वरूप कार्मिको के नाम के सम्मुख अंकित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित क्षेत्रों के महाविद्यालयों में व्याख्याता/रिसर्च ऑफिसर (R.V.R.E.S) पद पर विद्यमान वेतनमान पर पदस्थापित किया जाता है:-

1. ये इन नियमों के अधीन अधिवाषिता आयु प्राप्त करने तक किसी पदोन्नति के हकदार नहीं होंगे तथापि इन्हें सुनिश्चित कैरियर वृद्धि/कैरियर समुन्नति स्कीम का लाभ अनुज्ञात किया जायेगा जैसा कि यू0जी0सी0 के तहत राज्य सरकार के कॉलेज शिक्षा के व्याख्याताओं, पुस्तकालयाध्यक्षों एवं शारीरिक अनुदेशकों को अनुज्ञात है। सुनिश्चित कैरियर समुन्नति स्कीम की मंजूरी के प्रयोजनार्थ कालावधि की गणना स्वीकृत ओर सहायता प्राप्त पदों पर उनकी नियुक्ति की तारीख से की जावेगी।
2. यह नियुक्ति राजस्थान शिक्षा (महा. शाखा) सेवा नियम, 1986 के अधीन नहीं की जा रही है वरन् राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण सेवा नियम, 2010 के नियम 5 (ii) के अनुरूप मृत संवर्ग के रूप में की जा रही है।
3. यह मृत संवर्ग के पद चाहे किसी भी कारण से यथा अधिवाषिता/स्वेच्छक सेवानिवृत्ति/सेवा समाप्ति/सेवा में रहते हुए मृत्यु/कर्मचारी के त्याग पत्र इत्यादि के कारण पदों के रिक्त होते ही स्वतः समाप्त हो जायेंगे। इससे महाविद्यालय शिक्षा विभाग के पूर्व से सृजित पद समाप्त नहीं होंगे।
4. इनका वेतन इन नियमों के अधीन उनकी नियुक्ति के समय यथा आहरित वेतन के आधार पर इनके इस आदेश की अनुपालना में पद ग्रहण करने की तारीख से छठें वेतन आयोग के अनुसार नियत किया जायेगा। इन कर्मचारियों को इन नियमों के अधीन उनकी नियुक्ति के पश्चात् सरकार में पद ग्रहण करने की तारीख से राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) राजकीय महाविद्यालय व्याख्याता मय लाईब्रेरियन एवं पी.टी.आई नियम-2009 के लाभ के लिए अनुज्ञात किये जायेंगे।
5. उपार्जित अवकाश के अतिशेष अग्रणीत करने को अनुज्ञात नहीं किया जायेगा। कर्मचारी संबंधित सहायता अनुदानित शैक्षिक संस्थाओं से उपार्जित अवकाश के अतिशेष के नगदीकरण का भुगतान प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।
6. इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पश्चात् सरकार में उनके पद ग्रहण की तारीख से पूर्व की कालावधि के लिये राज्य सरकार द्वारा किसी भी मददे कोई भी बकाया, चाहे वह कुछ भी हो (वेतन, चयनित वेतनमान, सुनिश्चित कैरियर वृद्धि या कैरियर समुन्नति स्कीम के बकाया को सम्मिलित करते हुए) संदत्त नहीं किये जायेंगे।
7. इन नियमों के अधीन सरकारी सेवा में नियुक्त किये गये ये व्यक्ति पेंशन स्कीम के लिए पात्र नहीं होंगे अंशदायी भविष्य निधि अंशदान, यदि इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पश्चात् सरकार में उनके पद ग्रहण की तारीख से पूर्व की कालावधि के लिये, गैर सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं द्वारा जमा नहीं कराया गया हो तो, राज्य सरकार द्वारा संदत्त नहीं किया जायेगा। नियुक्त कार्मिक पर राजस्थान सिविल सेवा (अंशदान पेंशन) नियम, 2005 ही लागू होगा।

8. अनुदान/सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में सेवा की कालावधि की गणना उपादान के संदाय के लिये नहीं की जायेगी। कर्मचारी संबंधित सहायता/अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं से अपने उपादान का संदाय प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे। राज्य सरकार का इस संबंध में कोई उत्तर दायित्व नहीं होगा।
9. इन नियमों में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इन नियमों के अधीन नियुक्त इन व्यक्तियों की अन्य सेवा शर्तें 01.01.2004 को या उसके पश्चात् नियुक्त व्यक्तियों पर लागू विभिन्न सेवा नियमों द्वारा विनियमित होगी।
10. इन्हें अधिवाषिता की आयु प्राप्त करने तक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित क्षेत्रों में स्थित सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में ही सेवा करनी होगी।
11. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक योग्यता की वैधता की जाँच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाये जाने के अध्यक्षीन प्रदान की जा रही है। अतः संबंधित संस्था प्रधान ऐसे अभ्यर्थियों से 10/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी से प्रमाणित करवा कर इनके द्वारा कार्यग्रहण करने से पूर्व इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में ही प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें इस आदेश के द्वारा प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेंगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
12. संबंधित महाविद्यालय का प्राचार्य इन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व इनकी सभी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित अंकतालिकाओं/प्रमाण पत्रों की मूल दस्तावेजों से मिलान करने के उपरान्त उसकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियाँ प्राप्त कर कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखेगे।
13. इन्हें दिनांक 23/03/2012 तक अनिवार्यतः पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा। कार्यग्रहण अवधि में वृद्धि संबंधी कोई आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में उन्हें इन नियमों के अधीन प्रदत्त यह नियुक्ति स्वतः ही निरस्त हो जायेगी। कार्यग्रहण करने पर इन्हें यात्रा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जायेगा।
14. उक्त नियुक्ति आदेश डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 2983/2011 में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की खण्डपीठ द्वारा पारित अन्तिम निर्णयाधीन जारी किया जाता है।
16. निम्नांकित व्याख्याताओं/रिसर्च ऑफिसर को इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 1876 दिनांक 20.12.2011 के द्वारा निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर में आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया था। इन व्याख्याताओं को दिनांक 14.03.2012 के अपराहन में कार्यमुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे अपने पदस्थापित महाविद्यालय में अविलम्ब कार्यग्रहण कर इस कार्यालय को सूचित करें।

क्र. स.	अधिकारी का नाम एवं पिता/पति का नाम	पद / विषय	संस्था का नाम	जन्म तिथि	प्रस्ताव संख्या	पदस्थापित राजकीय महा.
1	श्रीमती उमा जोशी / श्री एस.के. जोशी	व्याख्याता मनोविज्ञान	सोफिया कालेज, अजमेर	15.09.53	645	कालाडेरा
2	डॉ. मनोरमा त्यागी / श्री रामवतार त्यागी	व्याख्याता मनोविज्ञान	जे.बी.शाह कन्या महाविद्यालय, झुंझुनू	10.06.61	646	खेतड़ी
3	डॉ. प्रीती सिंह / श्री नवरंग सिंह वर्मा	व्याख्याता मनोविज्ञान	जे.बी.शाह कन्या महाविद्यालय, झुंझुनू	30.06.72	647	चौमू
4	रीना शेखावत / श्री एस.एन. सिंह	व्याख्याता मनोविज्ञान	जे.बी.शाह कन्या महाविद्यालय, झुंझुनू	09.11.68	648	शाहपुरा (गल्सी) जयपुर
5	श्रीमती नीलम कृष्णिया / डॉ. महाबीर सिंह कृष्णिया	व्याख्याता मनोविज्ञान	जे.बी.शाह कन्या महाविद्यालय, झुंझुनू	30.04.72	649	नीम का थाना
6	श्री ईश्वर सिंह राणावत / श्री जोरावर सिंह राणावत	रिसर्च ऑफिसर	प्रताप शोध संस्थान, उदयपुर	27.04.60	791	खैरवाड़ा
7	श्री शक्ति कुमार शर्मा / श्री दुलीलाल शर्मा	रिसर्च ऑफिसर	साहित्य संस्थान, उदयपुर	06.06.53	792	नाथद्वारा

8	श्री विजय कुमार / रामवतार	श्री	व्याख्याता टैक्सटाईल	विनोदनी कालेज, खेतड़ी	पी.जी.	29.06.69	744	शाहपुरा (भीलवाड़ा)
9	डॉ. मीना बंसल / अनील बंसल	श्री	व्याख्याता जीपीईएम	श्री सत्यसाई कॉलेज फोर वूमेन, जयपुर		16.06.64	743	मालपुरा
10	श्री गगन खन्ना / श्री हितेश खन्ना		व्याख्याता जीपीईएम	श्री सत्यसाई कॉलेज फोर वूमेन, जयपुर		25.11.71	283	मालपुरा
11	डॉ. विनिता श्रीवास्तव / नरेन्द्र कुमार	श्री	व्याख्याता सोशियल वर्क	उदयपुर स्कूल ऑफ सोशियल वर्क		08.04.70	676	नाथद्वारा

(सुबीर कुमार)
निदेशक

क्रमांक एफ 1 (175)स्था/निकाशि/2011/ 2706

दिनांक: 14-3-12

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. शासन उपसचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. मुख्य लेखाधिकारी / उपविधि परामर्शी निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त निदेशक (स्थापना/अनुदान/ कार्मिक/ अकादमी), कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. लेखाधिकारी, शिक्षा गुप-5, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
11. संबंधित सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
12. संबंधित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय।
13. संबंधित पी.टी.आई।
14. संस्थापन/ कम्प्यूटर/ गोपनीय/ कार्मिक शाखा/ नोडल आफिसर, विभागीय वेबसाइट।
15. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर